

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-62

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

*62. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विद्युत और विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अधिकतम मांग तथा न्यूनतम मांग दोनों के समय मांग तथा आपूर्ति के बीच भारी अन्तर मौजूद है, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब सहित बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की कमी उत्पन्न हो गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और कारण क्या हैं;
- (घ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाया जाना प्रस्तावित है; और
- (ङ) क्या सरकार केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की कमी झेल रहे राज्यों को विद्युत आपूर्ति बढ़ाए जाने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत की मांग और आपूर्ति " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विद्युत की समग्र कमी विद्युत की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हुए हर राज्य में अलग-अलग रहती है। पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारणों से है:

(i) पारेषण एवं वितरण संबंधी कठिनाईयां। (ii) कुछ क्षेत्रों में खराब मानसून के कारण कम जल विद्युत उत्पादन। (iii) राज्य डिस्कॉमों की अत्यधिक समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां। (iv) राज्य यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति जिससे उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त विद्युत की अधिप्राप्ति सहित पर्याप्त उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में कठिनाई हो रही है।

(घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और इस नाते किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण, संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र तथा पारेषण प्रणालियां स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। इस स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,18,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित)। इसकी तुलना में, 09.02.2015 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 52,738 मेगावाट और 31.01.2015 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 9,120 मेगावाट प्राप्त कर ली गई है।
- (ii) 12वीं योजना के दौरान, अर्थात् 2016-17 तक, 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों का निर्माण और 2,82,740 एमवीए ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना। इसकी तुलना में, जनवरी, 2015 तक 50,503 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 1,64,924 एमवीए की ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त कर ली गई है।
- (iii) थर्मल संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को बड़े हुए कोयला उत्पादन और कोयले के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी करके सभी को चौबीस घंटे सातों दिन विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने की पहल की है।
- (v) पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने और लाइन हानियों को घटाने के लिए सरकार ने उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा कृषि -फीडरों के पृथक्करण के लिए दो नई स्कीमें , नामतः दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम अनुमोदित की हैं।
- (vi) मौजूदा विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार कारक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य एवं केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों ने पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की योजना बनाई है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और अन्य मांग-पक्ष प्रबंधन उपायों का संवर्द्धन किया जाता है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

(ड) : देश में केंद्रीय उत्पादक केंद्रों (सीजीएस) से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आबंटन प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और किसी भी समय विशेष में समग्र क्षमता पूर्णतया आबंटित रहती है। विद्युत की कमी झेल रहे राज्यों को विद्युत की आपूर्ति नए केंद्रीय उत्पादक स्टेशन चालू करने से बढ़ेगी। 12वीं योजना के दौरान जिन विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने की आशा है, उनसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभ का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

"विद्युत की मांग और आपूर्ति " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण।

2011-12 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य /सिस्टम/ क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012				अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू व कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखण्ड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	276,121	258,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	3,239	3,093	-146	-4.5
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	10,951	10,759	-192	-1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	9,151	8,505	-646	-7.1
महाराष्ट्र	141,382	117,722	-23,660	-16.7	21,069	16,417	-4,652	-22.1
दमन एवं दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	301	276	-25	-8.3
दादर नागर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	615	605	-10	-1.6
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	527	471	-56	-10.6
पश्चिमी क्षेत्र	290,421	257,403	-33,018	-11.4	42,352	36,509	-5,843	-13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	14,054	11,972	-2,082	-14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	10,545	8,549	-1,996	-18.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	3,516	3,337	-179	-5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	12,813	10,566	-2,247	-17.5
पुडुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	335	320	-15	-4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	260,302	237,480	-22,822	-8.8	37,599	32,188	-5,411	-14.4
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	2,031	1,738	-293	-14.4
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	2,318	2,074	-244	-10.5
झारखण्ड	6,280	6,030	-250	-4.0	1,030	868	-162	-15.7
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	3,589	3,526	-63	-1.8
पश्चिम बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	6,592	6,532	-60	-0.9
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	100	95	-5	-5.0
अंडमान-निकोबार	244	204	-40	-16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	14,707	13,999	-708	-4.8
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारत	937,199	857,886	-79,313	-8.5	130,006	116,191	-13,815	-10.6

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2012-13 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य /सिस्टम/ क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी (-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट) (%)	
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,088	25,950	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,992	8,744	-248	-2.8	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू व कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,724	46,119	-2,605	-5.3	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,538	53,868	-1,670	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखण्ड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
उत्तरी क्षेत्र	300,774	273,240	-27,534	-9.2	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	17,302	17,003	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,662	93,513	-149	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	49,226	44,272	-4,954	-10.1	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	123,984	119,972	-4,012	-3.2	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,991	1,860	-131	-6.6	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,572	4,399	-173	-3.8	629	629	0	0.0
गोवा	3,181	3,107	-74	-2.3	524	475	-49	-9.4
पश्चिमी क्षेत्र	293,918	284,126	-9,792	-3.3	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	99,692	82,171	-17,521	-17.6	14,582	11,630	-2,952	-20.2
कर्नाटक	66,274	57,044	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,243	20,391	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,302	76,161	-16,141	-17.5	12,736	11,053	-1,683	-13.2
पुडुचेरी	2,331	2,291	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	281,842	238,058	-43,784	-15.5	38,767	31,586	-7,181	-18.5
बिहार	15,409	12,835	-2,574	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
डीवीसी	17,299	16,339	-960	-5.5	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखण्ड	7,042	6,765	-277	-3.9	1,263	1,172	-91	-7.2
ओडिशा	25,155	24,320	-835	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	42,143	41,842	-301	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	409	409	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान-निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	107,457	102,510	-4,947	-4.6	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	589	554	-35	-5.9	116	114	-2	-1.7
असम	6,495	6,048	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	574	543	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,828	1,607	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	406	378	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	535	-32	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,108	1,054	-54	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वांचल क्षेत्र	11,566	10,718	-848	-7.3	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	995,557	908,652	-86,905	-8.7	135,453	123,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य /सिस्टम/ क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014				अप्रैल, 2013 - मार्च, 2014			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी (-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी (-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(एमयू)	(एमयू)
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8
उत्तराखण्ड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	309,463	290,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0
महाराष्ट्र	126,288	123,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6
दमन एवं दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8
दादर नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	294,659	291,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1
लक्षद्वीप	48	48	0	0	9	9	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	277,245	258,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0
झारखण्ड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0
अंडमान-निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	108,203	106,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4
अखिल भारत	1,002,257	959,829	-42,428	-4.2	135,918	129,815	-6,103	-4.5

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: व्यस्ततम पूर्ति और ऊर्जा की उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियाँ सहित) का प्रतिनिधित्व करती है। निवल निर्यात की गणना आयात करने वाले राज्यों की खपत के लिए की गई है।

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति (अनंतिम)

राज्य / सिस्टम / क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015				अप्रैल, 2014 - जनवरी, 2015			
	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	अधिशेष/कमी(-) (एमयू) (%)		व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(-) (एमयू)	
चंडीगढ़	1,416	1,416	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	25,603	25,488	-115	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	39,872	39,688	-184	-0.5	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	7,422	7,350	-72	-1.0	1,417	1,403	-14	-1.0
जम्मू व कश्मीर	13,938	11,153	-2,785	-20.0	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	42,805	42,322	-483	-1.1	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	55,258	54,812	-446	-0.8	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	88,975	74,503	-14,472	-16.3	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखण्ड	10,497	10,162	-335	-3.2	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	2,85,786	2,66,894	-18,892	-6.6	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	17,481	17,262	-219	-1.3	3,480	3,350	-130	-3.7
गुजरात	80,673	80,649	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	46,039	45,747	-292	-0.6	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	1,14,775	1,13,168	-1,607	-1.4	20,147	19,654	-493	-2.4
दमन एवं दीव	1,760	1,760	0	0.0	297	297	0	0.0
दादर नागर हवेली	4,516	4,514	-2	0.0	688	688	0	0.0
गोवा	3,349	3,313	-36	-1.1	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	2,68,593	2,66,413	-2,180	-0.8	44,166	43,035	-1,131	-2.6
आंध्र प्रदेश	50,647	47,775	-2,872	-5.7	7,144	6,549	-595	-8.3
तेलंगाना	34,543	32,043	-2,500	-7.2	7,884	6,682	-1,202	-15.2
कर्नाटक	51,268	48,838	-2,430	-4.7	10,001	9,503	-498	-5.0
केरल	18,544	18,242	-302	-1.6	3,760	3,495	-265	-7.0
तमिलनाडु	79,415	76,933	-2,482	-3.1	13,663	13,498	-165	-1.2
पुडुचेरी	2,010	1,984	-26	-1.3	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	40	40	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	2,36,427	2,25,815	-10,612	-4.5	39,094	35,698	-3,396	-8.7
बिहार	16,031	15,571	-460	-2.9	2,992	2,792	-200	-6.7
डीवीसी	15,294	14,867	-427	-2.8	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखण्ड	6,440	6,274	-166	-2.6	1,101	1,079	-22	-2.0
ओडिशा	22,332	21,947	-385	-1.7	3,814	3,764	-50	-1.3
पश्चिम बंगाल	39,792	39,575	-217	-0.5	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	332	332	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार	200	150	-50	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	1,00,221	98,566	-1,655	-1.7	16,909	16,609	-300	-1.8
अरुणाचल प्रदेश	586	512	-74	-12.6	139	126	-13	-9.4
असम	7,289	6,709	-580	-8.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	590	565	-25	-4.2	150	144	-6	-4.0
मेघालय	1,588	1,339	-249	-15.7	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	382	355	-27	-7.1	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	561	537	-24	-4.3	140	123	-17	-12.1
त्रिपुरा	1,081	886	-195	-18.0	310	266	-44	-14.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,077	10,903	-1,174	-9.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	9,03,104	8,68,591	-34,513	-3.8	1,48,166	1,41,160	-7,006	-4.7

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पास स्टैंडअलोन सिस्टम है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के ऊर्जा आंकड़ों में अप्रैल-मई, 2014 की अवधि के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र सहित) के आंकड़े शामिल हैं। तेलंगाना के ऊर्जा आंकड़े जून, 2014 से हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए व्यस्ततम आंकड़े जून, 2014 से हैं। यह जून, 2014 से आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के कारण हैं।

"विद्युत की मांग और आपूर्ति " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

राज्य	स्रोत	31.01.2015 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता (मेगावाट)	एमयू में वास्तविक उत्पादन			
			2014-15 (जनवरी, 15 तक)*	2013-14	2012-13	2011-12
बीबीएमबी	हाइड्रो	2884.3	9313.37	12125.01	10944.67	12459.46
दिल्ली	कोयला	840	3391.76	4526.37	5348.41	5593.71
	प्राकृतिक गैस	2208.4	4267.28	4111.3	5392.52	4376.98
दिल्ली कुल		3048.4	7659.04	8637.67	10740.93	9970.69
हरियाणा	कोयला	5980	23507.96	24642.35	23013.19	20978.76
	प्राकृतिक गैस	431.59	1339.21	1731.87	2402.85	3067.72
हरियाणा कुल		6411.59	24847.17	26374.22	25416.04	24046.48
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो	5797.02	21582.53	21680.66	20331.49	19160.61
जम्मू व कश्मीर	हाई स्पीड डीजल	175	0	0	0	5.41
	हाइड्रो	2669	12762.01	12426.79	12485.81	12279.07
जम्मू व कश्मीर कुल		2844	12762.01	12426.79	12485.81	12284.48
पंजाब	कोयला	4680	16746.02	16817.97	18012.31	19068.43
	हाइड्रो	1051	3615.96	3913.52	3925.85	4626.85
पंजाब कुल		5731	20361.98	20731.49	21938.16	23695.28
राजस्थान	कोयला	5660	27823.14	25777.92	23234.45	23256.33
	लिंगनाइट	1580	7535.99	6010.48	5602.13	2789.96
	प्राकृतिक गैस	1023.13	3241.01	3769.85	3837.03	5485.16
	न्यूक्लियर	1180	6277.85	9233.13	8846.88	8974.12
	हाइड्रो	411	633.39	1059.98	845.34	821.57
राजस्थान कुल		9854.13	45511.38	45851.36	42365.83	41327.14
उत्तर प्रदेश	कोयला	16083	87631.35	102705.93	93035.26	84365.35
	प्राकृतिक गैस	1493.14	3497	5191.85	7192.4	9254.69
	न्यूक्लियर	440	2278.54	2703.5	2541.14	1983.79
	हाइड्रो	501.6	1091.55	1241.73	1577.92	1403.67
उत्तर प्रदेश कुल		18517.74	94498.44	111843.01	104346.72	97007.5
उत्तराखण्ड	हाइड्रो	3426.35	10080.63	11025.01	12438.79	13542.54
	कोयला	14643	65898.2	70678.61	67814.26	59061.24
छत्तीसगढ़	हाइड्रो	120	250.39	251.51	301.51	314.11
	कोयला	14763	66148.59	70930.12	68115.77	59375.35
गोवा	नापथा	48	12.61	241.32	245.41	277.09
गुजरात	कोयला	14150	71991.26	74375.3	60889.87	39828.69
	लिंगनाइट	1040	5278.84	5813.03	6292.45	5325.47
	प्राकृतिक गैस	7795.41	6063.64	6151.64	15760.37	24524.31
	न्यूक्लियर	440	2913.69	3752.43	3470.22	3787.37
	हाइड्रो	1990	3278.61	7106.29	4578.31	4958.95
गुजरात कुल		25415.41	89526.04	97198.69	90991.22	78424.79
मध्य प्रदेश	कोयला	13685	56940.14	50430.94	43467.82	41696.32
	हाइड्रो	2395	5245.55	9215.93	7227.71	7736.09
मध्य प्रदेश कुल		16080	62185.69	59646.87	50695.53	49432.41
महाराष्ट्र	कोयला	19586	73074.75	72507.42	66288.12	59483.09

	प्राकृतिक गैस	3072	3996.98	6052.95	10465.01	17855.76
	न्यूक्लियर	1400	8727.57	9884.54	9824.31	9814.45
	हाइड्रो	2887	4596.59	6255.03	5557.47	6238.44
महाराष्ट्र कुल		26945	90395.89	94699.94	92134.91	93391.74
आंध्र प्रदेश	कोयला	11242.5	63252.15	72906.93	73410.78	67584.18
	प्राकृतिक गैस	3370.4	2063.46	5244.06	10299.72	18100.98
	डीजल	36.8	0	0	0	12.69
	हाइड्रो	3783.35	6273.36	7277.1	3456.75	6370.8
आंध्र प्रदेश कुल		18433.05	71588.97	85428.09	87167.25	92068.65
कर्नाटक	कोयला	4780	24725.46	29774.22	28014.47	23481.64
	डीजल	234.42	0	24.41	320.04	631.06
	न्यूक्लियर	880	5283.97	6539.06	5442.13	5210.69
	हाइड्रो	3585.4	10550.54	12851.04	10169.78	14259.88
कर्नाटक कुल		9479.82	40559.97	49188.73	43946.42	43583.27
केरल	नापथा	533.58	973.83	1320.74	1684.63	755.16
	डीजल	234.6	185.02	220.88	532.95	290.57
	हाइड्रो	1881.5	5776.03	7708.18	4650.08	7807.98
केरल कुल		2649.68	6934.88	9249.8	6867.66	8853.71
पुडुचेरी	प्राकृतिक गैस	32.5	102.14	256.97	230.76	251.46
तमिलनाडु	कोयला	7170	28648.28	28299.38	21558.83	20324.26
	लिग्नाइट	2990	16394.52	20416.18	20429.12	19977.46
	प्राकृतिक गैस	896.3	3662.37	4933.02	4800.19	4934.4
	नापथा	120	2.83	0.85	0.42	29.59
	डीजल	411.7	1038.48	1451.39	1295.93	1432.12
	न्यूक्लियर	1440	3216.81	2115.13	2741.43	2516.14
	हाइड्रो	2182.2	4303.2	4994.75	2868	5199.27
तमिलनाडु कुल		15210.2	57266.49	62210.7	53693.92	54413.24
अंडमान निकोबार	डीजल	40.05	146.2	171.49	135.81	94.87
बिहार	कोयला	3430	14742.58	14939.36	14707.45	13812.29
डीवीसी	कोयला	6800	21146.95	27889.66	26077.88	19536.57
	नापथा	90	0	0	0	0
	हाइड्रो	143.2	252.63	225.63	199.33	296.12
डीवीसी कुल		7033.2	21399.58	28115.29	26277.21	19832.69
झारखण्ड	कोयला	3140	12287.68	14235.65	11378.09	6387.24
	हाइड्रो	130	30.39	109.53	141.98	270.05
झारखण्ड कुल		3270	12318.07	14345.18	11520.07	6657.29
ओडिशा	कोयला	7930	36568.93	38664.74	37289.82	35298.55
	हाइड्रो	2027.5	5643.11	6974.86	4373.8	4987.33
ओडिशा कुल		9957.5	42212.04	45639.6	41663.62	40285.88
सिक्किम	हाइड्रो	669	3135.92	2945.38	2596.5	2920.6
पश्चिम बंगाल	कोयला	8635	39327.64	44674.32	45690.42	45030.65
	हाई स्पीड डीजल	80	0	0	0	0
	हाइड्रो	1109	1895.51	1395.56	1138.12	1077.89
पश्चिम बंगाल कुल		9824	41223.15	46069.88	46828.54	46108.54
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो	405	1056.74	980.94	1239.94	978.4
असम	बहु ईंधन	60	0	0	0	0
	प्राकृतिक गैस	567.2	2732.46	3149.27	3099.67	3102.89
	हाइड्रो	325	952.1	1215.95	1102.62	1453
असम कुल		952.2	3684.56	4365.22	4202.29	4555.89
मणिपुर	डीजल	36	0	0	0	0

	हाइड्रो	105	347.26	639.84	580.41	523.5
मणिपुर कुल		141	347.26	639.84	580.41	523.5
मेघालय	हाइड्रो	332	797.3	981.61	774.77	594.5
नागालैंड	हाइड्रो	75	157.63	245.71	213.34	228.84
त्रिपुरा	प्राकृतिक गैस	980.1	3186.12	2366.49	1424.96	1442.84
भूटान (आयात)	हाइड्रो	0	4935.88	5597.9	4794.5	5284.51
सकल योग		224680.24	880680.85	967150.34	912056.7	876886.53

* अन्तिम

1. सीईए पारंपरिक स्रोतों केवल (थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर) की निगरानी करता है।
2. 01.04.10 से 25 मेगावाट से अधिक उत्पादन केंद्रों की निगरानी नहीं की जा रही है।

"विद्युत की मांग और आपूर्ति " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के भाग (ड) में उल्लिखित विवरण।

12वीं योजना के दौरान चालू किए जाने के लिए संभावित विद्युत केंद्रों राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लाभ का ब्यौरा

उत्तरी क्षेत्र

आंकड़े मेगावाट में

परियोजना का नाम	राज्य में स्थान	कुल संस्थापित क्षमता	हरियाणा	हिमाचल	जे एंड के	पंजाब	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	उत्तराखण्ड	चंडीगढ़	दिल्ली	अनाबंदिता	कुल
सुबानसिरी लोअर (एच)	अरुणाचल प्रदेश	250	22	0	0	32	47	91	0	3	57	0	250
कार्मैंग (एच) (एच)	अरुणाचल प्रदेश	150	13	0	0	19	28	55	0	1	34	0	150
कोलडैम (एच)*	हिमाचल प्रदेश	800	45	133	72	62	86	155	39	6	81	120	800
पार्वती स्टेज-II (एच)*	हिमाचल प्रदेश	800	45	133	72	62	86	155	39	6	81	120	800
तपोवन विष्णुगाड (एच)	उत्तराखण्ड	520	29.51	18.73	46.55	40.61	55.97	100.76	93.02	4.08	52.77	78.00	520.00
आरएपीपी यू-7 व 8 (एन)	राजस्थान	1400	44	27	54	65	700	162	33	5	101	210	1400
किशनगंगा (एच)*	जे एंड के	330	19	12	73	26	35	64	16	3	33	49	330
कुल		4250	218	323	317	307	1038	783	220	28	440	577	4250

* अनंतिम, विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटन आदेश अभी जारी किया जाना है।

पश्चिम क्षेत्र

आंकड़े मेगावाट में

परियोजना का नाम	राज्य में स्थान	कुल संस्थापित क्षमता	गुजरात	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र	गोवा	दमन एवं दीव	दादर एवं नागर हवेली	अनाबंदिता	कुल
सुबानसिरी लोअर (एच)	अरुणाचल प्रदेश	250	81	52.5	21	92	4	0	0	0	250
कार्मैंग (एच) (एच)	अरुणाचल प्रदेश	150	48	32	13	55	2	0	0	0	150
काकरपाड़ा यू-3 व 4 (एन)	गुजरात	1400	476	219	88	379	16	5	8	210	1400
कुल		1800	605	303	122	525	22	5	8	210	1800

दक्षिणी क्षेत्र

आंकड़े मेगावाट में

परियोजना का नाम	राज्य में स्थान	कुल संस्थापित क्षमता	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	पुडुचेरी	गोवा	अनाबंदिता	कुल
तूतीकोरिन-जेवी (टी)	तमिलनाडु	1000.00	254.60	157.90	72.50	387.00	9.50	0.00	118.50	1000
कलपक्कम पीएफबीआर (एन)*	तमिलनाडु	500.00	92.00	55.00	25.00	250.00	3.00	0.00	75.00	500
कुडनकुलम यू -2 (एन)	तमिलनाडु	1000.00	0.00	221.00	133.00	462.50	33.50	0.00	150.00	1000
कुल	तमिलनाडु	2500	346.60	433.90	230.50	1099.50	46.00	0.00	343.50	2500

* अनंतिम, विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटन आदेश अभी जारी किया जाना है।

पूर्वी क्षेत्र

आंकड़े मेगावाट में

परियोजना का नाम	राज्य में स्थान	कुल संस्थापित क्षमता	बिहार	झारखण्ड	ओडिशा	डीवीसी	पश्चिम बंगाल	सिक्किम	अनाबंटित	रेल	कुल
तीस्ता लो डैम IV (एच)*	पश्चिम बंगाल	160	0	0	0	0	136	0	24		160
बाढ़ (टी)	बिहार	1980	1025	202	418	0		38	297		1980
नबीनगर (टी)	बिहार	1000							100	900	1000
बाढ़ स्टेज II (टी)	बिहार	660	430	40	83	0		9	99		660
मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपें. (टी)	बिहार	390	264	12	30	10	34	2	38		390
रघुनाथपुर	पश्चिम बंगाल	600				600					600
बोकारो टीपीपी ए एक्सपें. यू 1	झारखण्ड	500				500					500
कुल		5290	1719	254	531	1110	170	49	558	900	5290

* अनंतिम, विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटन आदेश अभी जारी किया जाना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

आंकड़े मेगावाट में

परियोजना का नाम	राज्य में स्थान	कुल संस्थापित क्षमता	असम	मणिपुर	मेघालय	नागालैंड	त्रिपुरा	अरुणाचल प्रदेश	मिजोरम	अनाबंटित	कुल
कामेंग एच.ई. (एच)	अरुणाचल प्रदेश	300.00	65.00	14.00	15.00	9.00	15.00	83.00	9.00	90.00	300.00
सुबानसिरी लोअर (एच)	अरुणाचल प्रदेश	500.00	104.00	21.50	24.50	14.50	24.50	147.00	14.00	150.00	500.00
बोंगाईगांव एक्सटें. यू 1,2 (टी)	असम	750.00	381.00	47.00	53.00	32.00	56.00	37.00	31.00	113.00	750.00
त्रिपुरा गैस (जीटी)	त्रिपुरा	363.00	120.00	21.00	39.50	13.50	98.00	11.00	11.00	49.00	363.00
मोनार्चक सीसीपीपी (टी)*	त्रिपुरा	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00
तुरियल (एच)*	मिजोरम	60.00	20.11	4.19	5.38	2.92	3.98	3.95	10.47	9.00	60.00
डिकरोंग (पारे) (एच)	अरुणाचल प्रदेश	110.00	37.00	8.00	9.00	5.00	8.00	21.00	5.00	17.00	110.00
कुल		2184.00	727.11	115.69	146.38	76.92	306.48	302.95	80.47	428.00	2184.00

* अनंतिम, विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटन आदेश अभी जारी किया जाना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-74

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु योजना

*74. डा. विजयलक्ष्मी साधौ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) जल-विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा और अन्य स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु आवंटित धनराशि तथा विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु योजना " के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 74 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : देश में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए , 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट (एमडब्ल्यू) वृद्धि की योजना बनाई गई है। इसमें 10,897 मेगावाट हाइड्रो, 72,340 मेगावाट थर्मल और 5,300 मेगावाट न्यूक्लियर शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट क्षमता की योजना बनायी गई है।

(ख) : बिजली के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश 15,01,666 करोड़ रुपए है और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, यह 3,18,626 करोड़ रुपए है। विद्युत मंत्रालय के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजना का परिव्यय 4,40,796 करोड़ रुपए (न्यूक्लियर विद्युत को छोड़कर) है और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए, यह 33,003 करोड़ रुपए है।

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है , और वर्ष 2014-15 के लिए, यह 1,023 बिलियन यूनिट (बीयू) है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-713

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं में निवेश

713. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों की विद्युत परियोजनाओं में कोई निवेश किया है;
- (ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार इसका, विशेषकर पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत दो वर्षों के दौरान परियोजना-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और
- (घ) इसमें केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : महाराष्ट्र सहित राज्यों में विद्युत परियोजनाओं में निवेश भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से करती है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 में राज्यों में ताप और जलविद्युत उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा पूंजीगत व्यय नीचे दिया गया है:

ताप परियोजनाएं

(रुपए करोड़ में)

राज्य/परियोजना	2012-13	2013-14	कार्यान्वयन सीपीएसई
असम			
बोंगाईगांव टीपीपी	749.00	685.00	एनटीपीसी
बिहार			
बाढ़ एसटीपीपी-I	1433.00	1601.00	एनटीपीसी
बाढ़ एसटीपीपी-II	1723.00	1479.00	एनटीपीसी
नबीनगर टीपीपी	1096.68	1300.68	एनटीपीसी जेवी
मुजफ्फरपुर एक्सपें. टीपीपी	744.23	622.37	एनटीपीसी जेवी
न्यू नबीनगर टीपीपी	599.86	492.03	एनटीपीसी जेवी

छत्तीसगढ़			
लारा एसटीपीपी	773.00	535.00	एनटीपीसी
हरियाणा			
इंदिरा गांधी टीपीपी	603.65	373.06	एनटीपीसी
झारखण्ड			
बोकारो टीपीएस "ए" एक्सपें.	580.75	623.05	डीवीसी
कोडरमा टीपीपी	748.08	526.15	डीवीसी
नॉर्थ करणपुरा टीपीपी		1530.00	एनटीपीसी
कर्नाटक			
कुडगी टीपीपी	1304.00	2277.00	एनटीपीसी
महाराष्ट्र			
मौदा टीपीपी	1250.00	639.00	एनटीपीसी
मौदा स्टेज-II टीपीपी	860.00	1472.00	एनटीपीसी
सोलापुर	1142.00	983.00	एनटीपीसी
मध्य प्रदेश			
विंध्याचल एसटीपीपी-4	1306.00	772.00	एनटीपीसी
विंध्याचल एसटीपीपी-5	272.00	725.00	एनटीपीसी
गदरवारा एसटीपीपी	655.00	463.00	एनटीपीसी
तमिलनाडु			
नैवेली टीपीएस-II एक्सपें.	252.27	249.18	एनएलसी
तूतीकोरिन टीपीपी	1360.00	1063.33	एनपीटीएल(एनएलसीजेवी)
वल्लूर टीपीपी फेज-I	1045.41	146.21	एनटीपीसी/टीएनईबीजेवी
वल्लूर टीपीपी फेज-II	540.00	555.52	एनटीपीसी/टीएनईबीजेवी
तेलंगाना			
सिंगरैनी टीपीपी	761.48	1837.82	एनटीपीसी
त्रिपुरा			
त्रिपुरा सीसीपीपी	815.00	525.63	ओएनजीसीजेवी
मोनाचक सीसीपीपी	296.15	228.86	नीपको
अगरतला सीसीपीपी	22.11	151.66	एनटीपीसी
उत्तर प्रदेश			
एफजी ऊंचाहार टीपीपी स्टेज-II	-	226.00	एनटीपीसी
रिहंद स्टेज-III	1173.00	598.00	एनटीपीसी
मेजा एसटीपीपी	862.87	565.90	एनटीपीसी
पश्चिम बंगाल			
रघुनाथपुर टीपीपी फेज-I	860.00	351.17	डीवीसी
कुल	23828.54	23597.62	

हाइड्रो परियोजनाएं

राज्य/परियोजना	2012-13	2013-14	कार्यान्वयन सीपीएसई
अरुणाचल प्रदेश			
सुबानसिरी लोअर	597.54	579.10	एनएचपीसी
कामेंग	415.66	630.74	नीपको
पारे	206.95	294.24	नीपको
हिमाचल प्रदेश			

पार्वती स्टेज-II	491.13	529.37	एनएचपीसी
चमेरा-III	46.31	-	एनएचपीसी
पार्वती-III	317.67	271.50	एनएचपीसी
कोलडैम	667.00	941.00	एनटीपीसी
रामपुर	720.40	743.16	एसजेवीएनएल
जम्मू व कश्मीर			
उरी-II	234.48	168.74	एनएचपीसी
सेवा-II	3.35	-	एनएचपीसी
चूटक	43.39	-	एनएचपीसी
निम्मो बाजगो	115.97	42.94	एनएचपीसी
किशनगंगा	781.04	1095.29	एनएचपीसी
मिजोरम			
तुरिअल	100.19	171.88	नीपको
उत्तराखण्ड			
कोटेश्वर	96.13	18.18	टीएचडीसी
तपोवन विष्णुगाड	356.00	265.00	एनटीपीसी
लता तपोवन	61.00	41.00	एनटीपीसी
टिहरी पीएसएस	145.66	225.92	टीएचडीसी
विष्णुगाड पीपलकोटि	44.06	136.33	टीएचडीसी
पश्चिम बंगाल			
तीस्ता लो डैम-III	219.45	19.41	एनएचपीसी
तीस्ता लो डैम-IV	209.17	166.33	एनएचपीसी
कुल	5872.55	6340.13	

पारेषण परियोजनाएं

राज्य/परियोजना	2012-13	2013-14	कार्यान्वयन सीपीएसई
जम्मू व कश्मीर			
लेह-श्रीनगर 220 केवी पारेषण परियोजना		65.40	पीजीसीआईएल
कुल		65.40	

(घ) : निवेश की गई कुल निधि में केन्द्रीय क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 25.8% और वर्ष 2013-14 में 28.8% था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-714

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्र

714. श्री सी. एम. रमेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2015 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में संभवतः स्थापित किए गए/किए जाने वाले ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित/उत्पादित की जाने वाली विद्युत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश को कितनी विद्युत आवंटित की जा रही है/की जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : अप्रैल 2009 से 15 फरवरी, 2015 तक अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 6228 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आंध्र-प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 2015 तक कुल 950 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजनाओं को चालू करने की संभावना है। अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में अप्रैल, 2009 से 31 जनवरी, 2015 तक चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पादित विद्युत के ब्यौरे सहित ये ब्यौरे अनुबंध पर हैं।

(ग) : वर्ष 2009 से शुरू की गई निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित विद्युत निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अविभाजित आंध्र प्रदेश को आवंटित विद्युत
1	सिम्हाद्री एक्सटें. यू-3,4	1000	384
2	कैगा यू 4	220	61.5
3	वल्लूर टीपीपी-यू-2,3	1500	178.8
	कुल	2720	624.3

आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विद्युत वितरित की गई है। तदनुसार, अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार ने दिनांक 08.05.2014 के अपने आदेश के माध्यम से दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आबंटित की गई विद्युत निम्नानुसार है:-

तेलंगाना राज्य- 53.89%

आंध्र प्रदेश राज्य- 46.11%

तदनुसार, आंध्र प्रदेश को 2009 के पश्चात् चालू की गई राज्य क्षेत्र परियोजनाओं, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों और निजी क्षेत्र परियोजनाओं से 46.11% विद्युत आबंटित की गई है सिवाय [थाम्मिनापट्टनम टीपीपी यू 1,2 (300 मेगावाट) और सिम्हापुरी टीपीपी पीएच- 1, यू-1 (150 मेगावाट)] परियोजना को छोड़कर क्योंकि इन परियोजनाओं ने आंध्र प्रदेश के डिस्कॉम के साथ पीपीए हस्ताक्षरित नहीं किया है।

राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

(क) अप्रैल, 2009 से 15 फरवरी, 2015 के दौरान अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य में चालू की गई ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा				
परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक (ए)/चालू होने का अनुमानित समय	01.04.2009 से 31.01.2015* तक उत्पादन (एमयू)
केंद्रीय क्षेत्र				
सिम्हाद्री एसटीपीपी एक्सटें.	यू-3	500	31.03.11(ए)	12245.59
	यू-4	500	30.03.12(ए)	8057.34
कुल केंद्रीय क्षेत्र		1000		20302.93
राज्य क्षेत्र				
रायलसीमा टीपीएस स्टेज-III	यू-5	210	31.12.10(ए)	5767.24
विजयवाड़ा टीपीपी-IV	यू-1	500	08.10.09(ए)	19420.3
दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-1	800	28.08.14(ए)	724.54
काकातिया टीपीपी	यू-1	500	27.05.10(ए)	14907.25
विजेश्वरन सीसीपीपी	यू-1	33	01.04.2012(ए)	57.75
कोथागुडेम टीपीपी-VI	यू-1	500	26.06.11(ए)	12914.99
कुल राज्य क्षेत्र		2543		53792.07
निजी क्षेत्र				
गौतमी सीसीपीपी	जीटी-1	145	03.05.09(ए)	7863.56
	जीटी-2	145		1085.04
	एसटी	174		1357.39
कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी-1	140	05/2009(ए)	4775.76
	जीटी-2	140	05/2009(ए)	595.75
	एसटी	165	30.06.10(ए)	1029.31
पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	07.02.15(ए)	
थामिनापट्टनम टीपीपी-I	यू-1	150	09.09.12(ए)	1712.11
	यू-2	150	17.04.13(ए)	1402.07
लैंको कोंडापल्ली एक्सटें. फेज-II	जीटी	233	05.12.09(ए)	4157.84
	एसटी	133	19.07.10(ए)	1140.01
सिम्हापुरी टीपीपी फेज-II	यू-1	150	24.03.12(ए)	2835.58
	यू-2	150	02.07.12(ए)	2665.13
सिम्हापुरी टीपीपी फेज-II	यू-3	150	21.02.14(A)	978.42
कुल निजी क्षेत्र		2685		31597.97
कुल (क)		6228.0		105693.0
(ख) मार्च, 2015 तक आंध्र प्रदेश राज्य में चालू की जाने वाली संभावित ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा				
केंद्रीय क्षेत्र				
		शून्य		
कुल केंद्रीय क्षेत्र		0		
राज्य क्षेत्र				
दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	यू-2	800	मार्च-15	
कुल राज्य क्षेत्र		800		
निजी क्षेत्र				
सिम्हापुरी टीपीपी फेज-II	यू-4	150	मार्च-15	
कुल निजी क्षेत्र		150		
कुल (ख)		950.0		
कुल(क+ख)		7178.0		

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-715

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की परिसंपत्तियों
और देयताओं की घोषणा

715. श्री सालिम अन्सारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 2014 तक स्वयं, अपनी पत्नी/पति तथा आश्रित बच्चों की परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा गया था;
- (ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को भी अपने संबंधित मंत्रालयों को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करनी है; और
- (ग) यदि हाँ, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियमों के अंतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा क्या जानकारी दी गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी हाँ, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(ण) और धारा 14 की उप धारा (1) के खंड (एफ) तथा जन सेवक (परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचना तथा वार्षिक रिटर्न देना और रिटर्न फाइल करने में परिसंपत्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व में दिनांक 31 दिसंबर तक स्वयं की, पत्नी तथा आश्रित बच्चों की परिसंपत्तियों और देयताओं संबंधी सूचना घोषित करना अपेक्षित था। तथापि, सरकार ने दिनांक 26 दिसंबर, 2014 की अपनी राजपत्र अधिसूचना द्वारा सभी जनसेवकों की परिसंपत्तियों और देयताओं की घोषणा के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा को दिनांक 31 दिसंबर 2014 से 30 अप्रैल 2015 तक बढ़ा दिया है।

(ख) और (ग) : लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 2(1)(ग) के अनुसार, पीएसयू के केवल सीएमडी और बोर्ड स्तर के अन्य अधिकारियों के लिए अपने संबंधित मंत्रालयों को अपनी सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अब तक, पीजीसीआईएल के किसी भी बोर्ड स्तर के अधिकारी ने विद्युत मंत्रालय को अपनी सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-716

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्रियान्वयन

716. श्रीमती विप्लव ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को स्वीकृति दी है;
- (ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्रों के ब्यौरे सहित इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और
- (ग) हिमाचल प्रदेश में उपर्युक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण के सुदृढीकरण, सभी स्तरों पर मीटरिंग और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब डीडीयूजीजेवाई के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में मिला दिया गया है और रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। डीडीयूजीजेवाई की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- (i) कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति सुलभ कराना।
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संवर्द्धन, जिसमें वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ता स्तर पर मीटरिंग शामिल है।
- (iii) डीडीयूजीजेवाई में आरजीजीवीवाई को मिलाते हुए 12वीं और 13वीं योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई में ले जाने के लिए दिनांक 01.08.2013 के सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत किसी राज्य को निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गईं और निगरानी समिति द्वारा दिनांक 19.02.2015 को आयोजित अपनी बैठक में 159.12 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर अनुमोदित कर दी गई हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-717

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले के
उपयोग के लिए कोटा

717. श्री बी. के. हरिप्रसाद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत उत्पादन के लिए कर्णाटक के ताप विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले के उपयोग के लिए कोई कोटा निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए दी गई स्वीकृति और राज्य विद्युत बोर्ड के लिए निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण विद्युत उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हाँ।

देशी कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत यूटिलिटीयों के परामर्श से थर्मल विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कोयले के आयात हेतु मात्रा की सलाह देता है। तथापि, कोयले का आयात संबंधित विद्युत यूटिलिटी का विशेषाधिकार है। वर्ष 2014-15 के दौरान, कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) को देशी कोयले पर डिजाइन किए गए उनके विद्युत संयंत्रों के लिए 1.7 मिलियन टन (एमटी) कोयले के आयात की सलाह दी गई थी। अप्रैल-जनवरी 2015 तक की अवधि के दौरान, केपीसीएल ने 0.869 एमटी कोयले का आयात किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, कर्नाटक राज्य में स्थित आयातित कोयले पर आधारित उडुपी टीपीपी (1200 मेगावाट) ने 2.22 एमटी कोयले का आयात किया है।

आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित हैं :-

- 1) वर्तमान वर्ष के लक्ष्य से अधिक घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा बहु-स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं।
- 2) कोयले की उपलब्धता की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-718

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत सुधारों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता

718. श्री के सी त्यागी:

श्रीमती रजनी पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के विद्युत-सुधार संबंधी कार्यक्रमों के लिए सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता संबंधी योजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) बेहतर प्रबंधन और सुधारों के अनुसार राज्य-वार कार्य-निष्पादन क्या है;

(ग) विद्युत पारेषण क्षति के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्यों की स्थिति क्या है; और

(घ) रिमोट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर रीडर को जाम करने जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यों को सरकार द्वारा क्या सहायता मुहैया कराई जा रही है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए आरंभ की गई स्कीमें और उनकी स्थिति नीचे दी गई हैं:

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस):

सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से आईपीडीएस अनुमोदित की हैं:

- (i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण;
- (ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- (iii) आर-एपीडीआरपी से आईपीडीएस के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करके 12वीं एवं 13वीं योजना के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) जो अब आईपीडीएस में मिला दिया गया है, के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 21.06.2013 के सीसीईए अनुमोदन के अनुसार वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

यह स्कीम एटी एण्ड सी हानियों में कमी , आईटी सक्षम ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना , मीटरीकृत खपत के आधार पर तैयार ऊर्जा बिल में सुधार और संग्रह दक्षता में सुधार करने में सहायक होगी।

आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी की वर्तमान स्थिति:

- आईपीडीएस के तहत 9 फरवरी, 2015 को 9 यूटिलिटीयों के लिए 3268.33 करोड़ रुपए के डीपीआर प्रस्तावों को संस्वीकृत किया जा चुका है।
- पूर्वनाम आर-एपीडीआरपी के भाग-क (आईटी) के अंतर्गत 769 नगरों को गो-लाइव घोषित किया जा चुका है, 19 स्काडा केन्द्रों को चालू किया जा चुका है, और भाग-ख के अन्तर्गत , 194 नगरों में परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):

सरकार ने निम्नलिखित संघटकों के साथ "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" की स्कीम अनुमोदित की है:

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की न्यायोचित आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना, और
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संवर्द्धन।

12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई की चालू स्कीम को डीडीयूजीजेवाई में ग्रामीण विद्युतीकरण के अभिन्न संघटक के रूप में समाहित किया है , जिसके लिए सरकार ने आरजीजीवीवाई से शेष राशि को डीडीयूजीजेवाई को अग्रेषित करने हेतु पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई संघटक की वर्तमान स्थिति: अब तक, 31.01.2015 तक 1,09,271 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3.16 लाख आंशिक विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा चुका है और 2.22 करोड़ बीपीएल घरों को विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा राज्यों को 31403.62 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में जारी की जा चुकी है।

वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी):

राज्य डिस्कामों के वित्तीय टर्न एराउंड को संभव बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर , 2012 में राज्य स्वामित्व के डिस्कामों की वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) को अनुमोदित और अधिसूचित किया गया। राज्य स्वामित्व के डिस्कामों की , जिन्हें भारी संचयी नुकसान हुआ है तथा अधारणीय ऋणी होना पड़ा है , अवनतिशील वित्तीय प्रचालनात्मक निष्पादन और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनकी दीर्घावधिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य डिस्कामों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए स्कीम को तैयार और अनुमोदित किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा ट्रांजिशनल वित्तीय तंत्र के माध्यम से उनके ऋणों की पुनर्संरचना में सहायता के द्वारा वित्तीय टर्न एराउंड प्राप्त करने के लिए राज्य डिस्काम और राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय इस स्कीम में शामिल हैं। एफआरपी के तहत , स्कीम के अंतर्गत लगभग 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि को पात्र माना गया है। लगभग 56,908 करोड़ रुपए के बाँड जारी किए जा चुके हैं और ऋणदाताओं द्वारा लगभग 51,204 करोड़ रुपए का अल्पावधिक ऋण (एसटीएल) पुनर्संरचित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ):

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए , सार्वजनिक और निजी , दोनों, वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए जुलाई , 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) प्रारम्भ की है। राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत, 14 वर्षों में फैली लगभग 8466 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। पात्रता के लिए पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में हासिल प्रगति से जुड़ी होती है।

(ग) पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) अपनी "राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" में एटी एण्ड सी हानियों की गणना करता है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए उपभोक्ताओं को सीधे ही विक्रय कर रही यूटिलिटियों की समग्र एटी एण्ड सी हानियां अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्र के लिए आईपीडीएस और ग्रामीण क्षेत्र के लिए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 100% मीटरिंग के लिए अनुदान प्रदान कर रही है। विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 55, 73 और 177 के अनुसार, सीईए ने भी मीटर के संस्थापन और प्रचालन के लिए विनियम अधिसूचित किए हैं। वितरण कंपनियों को सीईए (मीटर का संस्थापन और प्रचालन) विनियम , 2006 तथा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अधिसूचित नियमों/विनियमों के अनुसार मीटरों को संस्थापित करना होता है।

राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डिस्कॉम-वार एटी एंड सी हानियां (%)					
क्षेत्र	राज्य	संस्थापित	2011-12	2012-13	2013-14*
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.24	59.40	
		एनबीपीडीसीएल		50.76	41.93
		एसबीपीडीसीएल		45.77	48.70
	बिहार कुल		59.24	54.63	46.33
	झारखंड	जेएसईबी	42.77	47.49	
	झारखंड कुल		42.77	47.49	
	ओडिशा	सेसको	46.15	43.61	
		नेसको	39.54	39.61	36.47
		सेसको	52.60	49.36	41.18
		वेसको	43.46	41.87	41.24
	ओडिशा कुल		44.66	42.94	
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	58.32	53.51	
	सिक्किम कुल		58.32	53.51	
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	32.90	34.43	32.05
	पश्चिम बंगाल कुल		32.90	34.43	32.05
उत्तर-पूर्वी	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडी	65.55	60.26	
	अरूणाचल प्रदेश कुल		65.55	60.26	
	असम	एपीडीसीएल	29.47	31.85	30.25
	असम कुल		29.47	31.85	30.25
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	44.80	85.49	
	मणिपुर कुल		44.80	85.49	
	मेघालय	एमईसीएल	44.85		
		एमपीडीसीएल		26.60	
	मेघालय कुल		44.85	26.60	
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	36.59	27.55	32.53
	मिजोरम कुल		36.59	27.55	32.53
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	22.85	75.30	
	नागालैंड कुल		22.85	75.30	
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	33.76	24.86	27.81
	त्रिपुरा कुल		33.76	24.86	27.81
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	16.65	15.16	
		बीएसईएस यमुना	25.54	17.94	
		टीपीडीडीसीएल	15.67	13.12	9.75
	दिल्ली कुल		18.56	15.22	
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	27.53	28.31	38.25
		यूएचबीवीएनएल	29.06	36.97	33.78
	हरियाणा कुल		28.27	32.55	36.26
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी			
		एचपीएसईबी लि.	18.04	9.64	16.45
	हिमाचल प्रदेश कुल		18.04	9.64	16.45
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	71.16	60.87	
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		71.16	60.87	
	पंजाब	पीएसपीसीएल	18.96	17.58	
	पंजाब कुल		18.96	17.58	
	राजस्थान	एवीवीएनएल	28.12	19.90	

		जेडीवीवीएनएल	23.83	18.97		
		जेवीवीएनएल	23.18	20.91	31.08	
		राजस्थान कुल	24.81	20.00		
उत्तरी	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	40.50	45.69	36.07	
		केसको	30.48	37.61	34.29	
		एमवीवीएन	44.42	45.83		
		पाश वीवीएन	35.95	33.39	23.49	
		पूर्व वीवीएन	52.37	52.37	29.12	
		उत्तर प्रदेश कुल	41.95	42.85		
		उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	25.84	23.18	
		उत्तराखंड कुल	25.84	23.18		
उत्तरी कुल			30.34	28.84		
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	17.77	15.64	17.54	
		एपीईपीडीसीएल	10.53	10.15	6.57	
		एपीएनपीडीसीएल	17.26	13.09	20.80	
		एपीएसपीडीसीएल	12.19	12.74	11.77	
		आंध्र प्रदेश कुल	15.27	13.70	14.77	
	कर्नाटक	बेसको	22.57	20.45	18.93	
		चेसको	28.99	30.42	36.40	
		गेसको	23.96	18.28	30.45	
		हेसको	23.62	20.44	20.44	
		मेसको	17.94	14.57	14.83	
		कर्नाटक कुल	23.29	20.78	22.35	
	केरल	केएसईबी	12.17	10.53		
		केरल कुल	12.17	10.53		
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	18.91	9.13	16.18	
		पुदुचेरी कुल	18.91	9.13	16.18	
	तमिलनाडु	टीएनईबी				
		टांगैडको	21.70	20.71	22.35	
		तमिलनाडु कुल	21.70	20.71	22.35	
	पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी			
			सीएसपीडीसीएल	29.05	25.12	
		छत्तीसगढ़ कुल	29.05	25.12		
गोवा		गोवा पीडी	15.12	14.14		
		गोवा कुल	15.12	14.14		
गुजरात		डीजीवीसीएल	13.14	10.40	10.83	
		एमजीवीसीएल	14.40	14.94	14.77	
		पीजीवीसीएल	28.03	30.41	24.12	
		यूजीवीसीएल	14.01	14.37	9.10	
		गुजरात कुल	19.26	19.87	15.93	
मध्य प्रदेश		एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	45.85	29.97	29.60	
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	34.43	28.16		
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	34.94	36.40	34.83	
		मध्य प्रदेश कुल	38.26	31.15		
महाराष्ट्र		एमएसईडीसीएल	21.63	21.95	14.39	
		महाराष्ट्र कुल	21.63	21.95	14.39	
सकल योग			26.63	25.39		
* 2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं और सभी डिस्कॉमों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।						
स्रोत: पीएफसी						

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डिस्कॉम-वार एटी एंड सी हानियां (%)					
क्षेत्र	राज्य	संस्थापित	2011-12	2012-13	2013-14*
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.24	59.40	
		एनबीपीडीसीएल		50.76	41.93
		एसबीपीडीसीएल		45.77	48.70
	बिहार कुल		59.24	54.63	46.33
	झारखंड	जेएसईबी	42.77	47.49	
	झारखंड कुल		42.77	47.49	
	ओडिशा	सेसको	46.15	43.61	
		नेसको	39.54	39.61	36.47
		सेसको	52.60	49.36	41.18
		वेसको	43.46	41.87	41.24
	ओडिशा कुल		44.66	42.94	
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	58.32	53.51	
	सिक्किम कुल		58.32	53.51	
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	32.90	34.43	32.05
	पश्चिम बंगाल कुल		32.90	34.43	32.05
उत्तर-पूर्वी	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडी	65.55	60.26	
	अरूणाचल प्रदेश कुल		65.55	60.26	
	असम	एपीडीसीएल	29.47	31.85	30.25
	असम कुल		29.47	31.85	30.25
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	44.80	85.49	
	मणिपुर कुल		44.80	85.49	
	मेघालय	एमईसीएल	44.85		
		एमपीडीसीएल		26.60	
	मेघालय कुल		44.85	26.60	
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	36.59	27.55	32.53
	मिजोरम कुल		36.59	27.55	32.53
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	22.85	75.30	
	नागालैंड कुल		22.85	75.30	
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	33.76	24.86	27.81
	त्रिपुरा कुल		33.76	24.86	27.81
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	16.65	15.16	
		बीएसईएस यमुना	25.54	17.94	
		टीपीडीडीसीएल	15.67	13.12	9.75
	दिल्ली कुल		18.56	15.22	
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	27.53	28.31	38.25
		यूएचबीवीएनएल	29.06	36.97	33.78
	हरियाणा कुल		28.27	32.55	36.26
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी			
		एचपीएसईबी लि.	18.04	9.64	16.45
	हिमाचल प्रदेश कुल		18.04	9.64	16.45
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	71.16	60.87	
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		71.16	60.87	
	पंजाब	पीएसपीसीएल	18.96	17.58	
	पंजाब कुल		18.96	17.58	
	राजस्थान	एवीवीएनएल	28.12	19.90	
	जेडीवीवीएनएल	23.83	18.97		
	जेवीवीएनएल	23.18	20.91	31.08	
राजस्थान कुल		24.81	20.00		

उत्तरी	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	40.50	45.69	36.07
		केसको	30.48	37.61	34.29
		एमवीवीएन	44.42	45.83	
		पाश वीवीएन	35.95	33.39	23.49
		पूर्व वीवीएन	52.37	52.37	29.12
	उत्तर प्रदेश कुल		41.95	42.85	
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	25.84	23.18	
	उत्तराखंड कुल		25.84	23.18	
उत्तरी कुल		30.34	28.84		
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	17.77	15.64	17.54
		एपीईपीडीसीएल	10.53	10.15	6.57
		एपीएनपीडीसीएल	17.26	13.09	20.80
		एपीएसपीडीसीएल	12.19	12.74	11.77
	आंध्र प्रदेश कुल		15.27	13.70	14.77
	कर्नाटक	बेसको	22.57	20.45	18.93
		चेसको	28.99	30.42	36.40
		गेसको	23.96	18.28	30.45
		हेसको	23.62	20.44	20.44
		मेसको	17.94	14.57	14.83
	कर्नाटक कुल		23.29	20.78	22.35
	केरल	केएसईबी	12.17	10.53	
	केरल कुल		12.17	10.53	
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	18.91	9.13	16.18
	पुदुचेरी कुल		18.91	9.13	16.18
	तमिलनाडु	टीएनईबी			
		टांगैडको	21.70	20.71	22.35
	तमिलनाडु कुल		21.70	20.71	22.35
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी			
		सीएसपीडीसीएल	29.05	25.12	
	छत्तीसगढ़ कुल		29.05	25.12	
	गोवा	गोवा पीडी	15.12	14.14	
	गोवा कुल		15.12	14.14	
	गुजरात	डीजीवीसीएल	13.14	10.40	10.83
		एमजीवीसीएल	14.40	14.94	14.77
		पीजीवीसीएल	28.03	30.41	24.12
		यूजीवीसीएल	14.01	14.37	9.10
	गुजरात कुल		19.26	19.87	15.93
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	45.85	29.97	29.60
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	34.43	28.16	
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	34.94	36.40	34.83
	मध्य प्रदेश कुल		38.26	31.15	
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.63	21.95	14.39
महाराष्ट्र कुल		21.63	21.95	14.39	
सकल योग		26.63	25.39		
* 2013-14 के आंकड़े अनंतिम हैं और सभी डिस्कॉमों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।					
स्रोत: पीएफसी					

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-719

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोल
बेस्ड थर्मल पावर टेक्नोलॉजी

719. श्री हुसैन दलवाई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "अल्ट्रा मॉडर्न सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड थर्मल पावर टेक्नोलॉजी" नामक एक नई योजना चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है; और

(ग) इसके क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : थर्मल उत्पादन की बढ़ी हुई क्षमता के लिए भेल, एनटीपीसी और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटामिक रिसर्च (आईजीसीएआर) को शामिल करते हुए 1500 करोड़ रुपये की लागत पर सरकार द्वारा एक उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी आर एण्ड डी परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ख) : स्कीम का उद्देश्य अधिक दक्षता हासिल करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकासी को कम करना और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की खपत को कम करना है।

(ग) : कार्यक्रम के लिए आर एण्ड डी कार्य कुछ पूर्व परियोजना आर एण्ड डी कार्यकलापों हेतु भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की समग्र देखरेख के अंतर्गत शुरू किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-720

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों को हुई क्षति

720. श्री ए. यू. सिंह दिवः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वितरण कंपनियों को कितनी क्षति हुई;

(ख) विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए वर्ष 2012 में शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराए गए ऋण के साथ कोई शर्त भी जोड़ी गई है;

(घ) क्या अतिरिक्त निवेश के प्रयोजनार्थ कुछ प्रतिशत ऋण निर्धारित किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार बिजली की कीमतों में संशोधन करने की योजना बना रही है, ताकि विद्युत वितरण कंपनियों की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए बिजली उत्पादन लागत पर ही बेची जाए?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा प्रकाशित राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन को शामिल करने वाली रिपोर्ट के आधार पर, गत तीन वर्षों के लिए उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से विक्रय करने वाली यूटिलिटियों की हानियाँ नीचे दी गई हैं:-

	2011-12	2012-13	2013-14
प्रोदभूत आधार पर कर के उपरान्त लाभ/(हानि) (रूपए करोड़ में)	(76,869)	(69,726)	(50,532*)

* 55 वितरण यूटिलिटियों में से, 42 वितरण यूटिलिटियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं।

(ख) से (घ) : राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कामों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम, राज्य डिस्कामों के गिरते प्रचालन निष्पादन और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भारी संचित हानियों और अधारणीय ऋण वाले राज्य डिस्कामों के व्यवसाय को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार एवं अनुमोदित की गई थी। इस स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांजिसल वित्तीय तंत्र के माध्यम से सहायता करने के साथ अपने ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय प्राप्त करने के लिए राज्य डिस्कामों और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। इस स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:-

- राज्य सरकार दिनांक 31 मार्च, 2012 तक डिस्कामों की बकाया लघु अवधि देयताओं (एमटीएल) का 50% हिस्सा ले लेगी। इसे सर्वप्रथम राज्य सरकार की गारण्टी द्वारा सम्यक रूप से भागीदार ऋणदाताओं को डिस्कामों द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण पत्रों में परिवर्तित किया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार अपने एफआरबीएम स्पेस के अनुसार विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करके अगले 2-5 वर्षों में डिस्कामों से इस दायित्व को ले लेगी। राज्य सरकार विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करके टेकओवर की तारीख तक ब्याज के भुगतान और मूलधन के पुनर्भुगतान में सहायता प्रदान करेगी।
- शेष 50% लघु अवधि देयताएं मूलधन वापसी पर ऋण स्थगन अवधि सहित बेहतर सम्भव शर्तों पर पुनर्निर्धारित की जाएंगी।
- स्कीम में टर्नअराउण्ड योजना की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर समितियों द्वारा द्विस्तरीय निगरानी तंत्र शामिल हैं।
- केंद्र सरकार स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ली गई देयता पर राज्य सरकार द्वारा मूलधन के पुनर्भुगतान के 25% भाग के आरएपीडीआरपी और पूँजी प्रतिपूर्ति सहायता के अंतर्गत विनिर्दिष्ट हानि ट्रेजेक्टरी के बाद त्वरित एटी एण्ड सी हानि कमी के माध्यम से बचत की गई अतिरिक्त ऊर्जा की कीमत के बराबर अनुदान देकर प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
- स्कीम में राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कामों की दीर्घावधि वित्तीय और वाणिज्यिक व्यावहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए डिस्कामों और राज्य सरकारों द्वारा समयबद्ध रूप से किए जाने वाले अपेक्षित शीघ्र/जारी तथा अन्य उपाय शामिल हैं। इन उपायों में वित्तीय पुनर्गठन, प्रशुल्क निर्धारण एवं राजस्व वसूली, सब्सिडी, मीटरिंग, लेखा परीक्षा एवं लेखा तथा निगरानी शामिल है।

वित्तीय पुनर्गठन योजना में किसी ऋण घटक की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ङ) : प्रशुल्क का निर्धारण अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नीतियों के अनुरूप उपयुक्त विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 से 63 के अंतर्गत किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रण वाली उत्पादन और पारेषण कंपनियों के लिए प्रशुल्क का विनियमन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता है जबकि राज्य के भीतर उत्पादन, आपूर्ति एवं पारेषण के लिए प्रशुल्क का निर्धारण, राज्य विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) सार्वजनिक और निजी दोनों वितरण लाइसेंसियों के लिए समय-समय पर प्रशुल्क निर्धारण की शर्तें एवं निबंधन अधिसूचित करते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-721

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
का कार्य-निष्पादन

721. श्री सन्तियुस कुजूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को सभी ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराने और सभी गांवों के विद्युतीकरण के लिए लागू किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) असम के चाय बगानों में किये गये विद्युतीकरण का प्रतिशत क्या है; और
- (घ) चाय बागान के क्वार्टरों में उपलब्ध कराये गये उपभोक्ता मीटर की वर्तमान स्थिति क्या है और क्वार्टरों के एक समूह के लिए केवल एक उपभोक्ता मीटर क्यों लगाया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने फीडर पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण के सुदृढीकरण, सभी स्तरों पर मीटरिंग और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है। पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब डीडीयूजीजेवाई के ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में मिला दिया गया है और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत, अब तक 921 परियोजनाएं (10वीं योजना में 235, 11वीं योजना में 413 और 12वीं योजना में 273) संस्वीकृत की गई हैं, जिसमें देश में 1,24,786 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 6,02,910 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 4.05 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के पात्र परिवारों को घरेलू उद्देश्यों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। तथापि, 11 केवी की लाइनें गांव के परिक्षेत्र तक लाई जाती हैं और राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यक अवसंरचना तैयार करने अथवा आवश्यकता के अनुसार इन लाइनों का उपयोग किया जा सकता है। चाय बगानों सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) में प्रस्तावित सभी बीपीएल परिवारों को डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अंतर्गत मीटर जारी किए जाते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-722

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

722. श्री अशक अली टाक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2010 से वर्ष 2013 की अवधि में राजस्थान में विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) विद्युत उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 एवं चालू वित्त वर्ष में किस-किस मद में कितनी-कितनी निधि आवंटित की गई; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इन निधियों का उपयोग कर लिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजस्थान में विद्युत उत्पादन वर्ष 2010-11 में 35250.88 मिलियन यूनिट (एमयू) से वर्ष 2012-13 में बढ़कर 42365.83 मिलियन यूनिट हो गया है।

(ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन एक गैर लाइसेंसी कार्य है। इसलिए उत्पादन परियोजना (परियोजनाओं) के लिए निधियों की व्यवस्था उत्पादन परियोजना विकासकर्ता करता है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-723

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है ।

देश में नई विद्युत परियोजनाएं

723. श्री बैष्णव परिडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 33,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 13 विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन संयंत्रों के स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले विद्युत की मात्रा क्या है; और

(घ) इससे विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने में कितनी मदद मिलेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने दिनांक 22.04.2013 को आयोजित अपनी बैठक में 13 विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें लगभग 33,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। स्थान और उत्पादन किए जाने हेतु विद्युत की संभावित मात्रा सहित इन परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध पर है। ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को चालू करने से देश में , विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को 4,404 मेगावाट तक कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

राज्य सभा में दिनांक 02.03.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 723 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पारेषण परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान	परियोजना का प्रकार	कुल परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)
1.	कामेंग-बालीपाड़ा 400 केवी डी/सी लाइन 98.25 एचए (असम)	असम एवं अरुणाचल प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	65
2.	कामेंग-बालीपाड़ा 400 केवी डी/सी लाइन 133.56 एचए (अरुणाचल प्रदेश)	असम एवं अरुणाचल प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	क्रम सं. 1 में शामिल
3.	पूलिंग स्टेशन बिलासपुर-रांची 765 केवी एस/सी लाइन 302.368 एचए (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	458
4.	नैल्लोर-कुरनूल 765 केवी लाइन 66 एचए (आंध्र प्रदेश)	आंध्र प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	625.8
5.	सिलचर-पूर्व कंचन बाड़ी (टीएसईसीएल) 400 केवी डी/सी 13.8 एचए (असम)	असम एवं त्रिपुरा	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	204
6.	सिलचर-मेलरियट (न्यू) 400 केवी डी/सी लाइन 22.7 एचए (असम)	असम एवं मिजोरम	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	168
7.	रिहद-विंध्याचल 765 केवी डी/सी टीएल, 104.902 एचए (मध्य प्रदेश)	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	100
8.	रायगढ़ (तमनार)-रायगढ़ (कोटरा) 765 केवी डी/सी 25.5 एचए (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	145
9.	सतना-ग्वालियर 765 केवी एस/सी टीएल 31.68 एचए (उत्तर प्रदेश)	मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	532
10.	ससन-सतना सीकेटी.॥ 765 केवी एस/सी 128.553 एचए (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	सार्वजनिक (पीजीसीआईएल)	374

हाइड्रो परियोजनाएं (कुल 444 मेगावाट)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान	परियोजना का प्रकार	कुल परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)
1.	विष्णुगाड पीपलकोटि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (444 मेगावाट)	जिला चमोली, उत्तराखण्ड में अलकनंदा नदी में स्थित	सार्वजनिक (टीएचडीसी)	मार्च, 2008 पीएल पर अनुमोदित लागत : 2491.58

ताप परियोजनाएं (कुल 3,960 मेगावाट)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्थान	परियोजना का प्रकार	कुल परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)
1.	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी (3x660 मेगावाट)	झारखण्ड	सार्वजनिक (एनटीपीसी)	15,000 (लगभग)
2.	नबीनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, स्टेज-I (3x660 मेगावाट)	जिला औरंगाबाद, बिहार में नबीनगर के पास	नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (एनटीपीसी और बीएसईबी का एक संयुक्त उद्यम)	13624.01

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-724

जिसका उत्तर 02 मार्च, 2015 को दिया जाना है।

उत्तराखण्ड में विद्युत परियोजनाएं

724. श्री महेन्द्र सिंह माहरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के बाद राज्य में स्थापित होने वाली विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन के संबंध में उत्तराखण्ड की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी समाप्त करने के क्या कारण हैं;
- (ख) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा राज्य में कहां-कहां परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं;
- (ग) क्या सरकार राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाएगी; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं और राज्य के गठन के बाद इसमें संस्थापित किए जाने वाली विद्युत परियोजनाओं से किए गए उत्पादन में से उत्तराखण्ड किसी हिस्से को समाप्त नहीं किया है।

(ख) : टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ने उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल जिले में दो जल विद्युत स्टेशन अर्थात् टिहरी एचईपी (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) संस्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल की दो जल विद्युत परियोजनाएं अर्थात् टिहरी एचईपी (1000 मेगावाट) और विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट) क्रमशः टिहरी गढ़वाल और चमोली जिलों में निर्माणाधीन है।

(ग) और (घ) : गृह राज्य होने के कारण , उत्तराखण्ड टीएचडीसीआईएल के जल विद्युत स्टेशनों द्वारा उत्पादित विद्युत से 12% निःशुल्क विद्युत प्राप्त कर रहा है। इसके अतिरिक्त , उत्तराखण्ड सरकार गाडगिल फार्मूला के अनुसार आदेय आधार पर टिहरी एचपीपी से 27 मेगावाट और कोटेश्वर एचईपी से 12.6 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार टीएचडीसी इण्डिया लि., जो 75:25 के अनुपात में इक्विटी शेयर सहित भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है , में अपने 25% इक्विटी शेयर के बदले टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं से 25% अतिरिक्त विद्युत प्राप्त कर रही है।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47(3) के अंतर्गत उत्तराखण्ड के गठन के बाद टीएचडीसीआईएल में उत्तर प्रदेश के इक्विटी शेयर का अंतरण उत्तराखण्ड को नहीं किया गया है।
